न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या–11/2017–18

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

आदेश

विक्रेता का नाम एवं पता– (1). फुलमनी देवी, पति–महेन्द्र महतो, पिता–स्व०भजु महतो,
(2). सावित्री देवी,
(3). सती देवी, पिता–स्व० दलु महतो तीनों ग्राम–माहिल, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–गृहणी वो खेतीबारी।

क्रेता का नाम एवं पता– रहिनी देवी पति–सारजन महतो, ग्राम–माहिल, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी वो गृहणी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम– श्री आनन्द राम महतो।

विक्रेता द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–28/04/2017 को आवेदन देकर छो०का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता रहिनी देवी पति–सारजन महतो, ग्राम–माहिल, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी वो गृहणी के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
माहिल	सोनाहातु	05	192	1083	12 डी० मध्ये 08 डी०
				1084	02 डी०

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम इस्तेहार भी निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, बुण्डू के पत्रांक–343(ii), दिनांक–12/08/17 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

(क) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम बोलो महतो वो ठाकुर महतो पे०–बुधु महतो है।

(ख) पंजी–।। के अनुसार रैयत का नाम चौधरी महतो वो ठाकुर महतो है तथा रैयत के पास कुल जमीन रकवा–03.29 एकड़ है। तथा विक्रेता पंजी–।। रैयत की परपोती है। खतियान में विक्रेता के परदादा के नाम पर दर्ज है।

क्रमशः–पृ०सं०–02